न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 36/2022

राजस्थान सरकार जरिये नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर .....प्रार्थी

बनाम

गरीब नवाज जनरल एण्ड चाय स्टोर
खादिम मौहल्ला, झालरा के उपर, दरगाह क्षेत्र अजमेर
श्री मुनाफ हुसैन पुत्र श्री खालिद हुसैन
खादिम मौहल्ला, झालरा के उपर, दरगाह क्षेत्र
पुलिस थाना दरगाह, अजमेर .....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

श्री इज्जत खान अप्रार्थी अभिभाषक

आदेश

दिनांक 04.08.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.08.2022 को मोहर्रम मेले के तहत घरेलू गेस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जांच दल गरीब नवाज जनरल एण्ड चाय स्टोर, खादिम मौहल्ला, झालरा के उपर, दरगाह क्षेत्र अजमेर पर पहुॅचे । दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नही किए ।

दुकान पर घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करने की पुष्टि हुई। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) की अवहेलना होने के कारण सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया । मौके पर घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर श्री अयूब खॉ काकि चन्द्रायन इण्डेन गेस एजेन्सी, अजमेर को बुलवा कर कांटे से वनज करवाने पर सिलेण्डर को सुपुर्द किया गया जिसका विवरण निम्नुसार पाया गया ।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	36722	Iocl	16.6	22.6	6.0	Domestic Sylender
2	364569	Iocl	15.6	15.6	-	Domestic Sylender

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा एक घरेलू सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित होकर जवाब पेश किया । उभय पक्ष द्वारा सुनवाई चाहने पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 03.08.2022 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये दो घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी की दुकान गरीब नवाज जनरल एण्ड चाय स्टोर अजमेर है तथा उक्त व्यवसाय से हाने वाली आमदनी से अप्रार्थी अपने परिवार के साथ गुजर–बसर करता है। अप्रार्थी के अतिरिक्त अप्रार्थी के वरिवार में अन्य कोई कमाने वाला सदस्य नही है तथा उपरोक्त दुकान के उपर ही अप्रार्थी का निवास मकान है जो निवास मकान अत्यधिक छोटा होने के कारण अप्रार्थी की घरेलू आवश्यकता का काफी सामान अप्रार्थी को अपनी दुकान में ही रखना पडता है जैसे ही अप्रार्थी की दुकान में फ्रिज में ही सब्जी इत्यादि सामान रखता है, दुकान में एक तरफ घरेलू गैस सिलेण्डर एवं अन्य सामान रखता है अप्रार्थी द्वारा स्वयं के घरेलू गैस सिलेण्डर का किसी भी प्रकार से उपयोग व्यवसायिक नहीं किया जा रहा था और यदि अप्रार्थी द्वारा स्वयं के घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जाता तो मौके पर मौजूद अधिकारियों द्वारा व्यवसायिक उपयोग की फोटोग्राफी या विडियोंग्राफी करवायी जाती जबकि ऐसा कुछ नही है। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डर का किसी भी प्रकार से व्यवसायिक उपयोग नही कर रहा । अप्रार्थी के जब्त गेस सिलेण्डर मुक्त करने के आदेश फरमाये एवं प्रकरण खारिज फरमावे।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये दो घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर